



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032023-244456
CG-DL-E-17032023-244456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1214]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944

No. 1214]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.आ. 1263(अ).— केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप धारा(1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 12 के अधीन इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भी अपनी संबंधित क्षेत्राधिकारिता में किया जाएगा, अर्थात:-

सारणी

क्र.सं .	विवादों का सुलह कराने वाले	अधिनिर्णयन के लिए औद्योगिक विवाद को संदर्भित करने हेतु सक्षम अधिकारी
1.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) या सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय) या क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय)	उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) जिनकी क्षेत्राधिकारिता में क्षेत्र आते हैं
2.	उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) या अपर मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय)	मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय)

[फा. सं. एस-11025/01(2)/2022-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2023

S.O. 1263(E).— In exercise of the powers conferred by section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under section 12, subject to the provisions of sub-section (1) of section 10, of the said Act, shall also be exercisable by the officers as specified in the following Table in their respective jurisdictions, namely:-

TABLE

Sl. No.	Disputes conciliated by	Officers competent to refer the Industrial Dispute for adjudication
1.	Labour Enforcement Officer (Central) or Assistant Labour Commissioner (Central) or Regional Labour Commissioner (Central)	Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction over the areas
2.	Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Additional Chief Labour Commissioner (Central)	Chief Labour Commissioner (Central).

[F. No. S-11025/01(2) / 2022- IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.